



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 09.03.2025

थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये गये अभियान में 06 अवैध कच्ची शराब की भट्टी व उनके उपकरण मौके पर नष्ट किये गये तथा 2500 लीटर लहन नष्ट किया गया ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.03.2025 को जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करते हुये थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भोगपुर, मदपुरी व वीरभान वाला के वन क्षेत्र में ड्रोन की मदद से 06 शराब की भट्टी व उनके उपकरण मौके पर ही नष्ट किए गए व करीब 2500 लीटर लहन भी नष्ट किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



### कार्यवाही का विवरण –

06 शराब की भट्टी व उनके उपकरण मौके पर ही नष्ट किए गए व करीब 2500 लीटर लहन भी नष्ट किया गया ।



### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- निरीक्षक श्री सुशील कुमार मय टीम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

2- आबकारी निरीक्षक श्री डीके सोती मय टीम थाना नगीना क्षेत्र जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक- 09.03.2025

**थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही विवरण:-

थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नितिन चौधरी पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम किलावली थाना कुण्डा जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा एक एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन जिसमे उक्त तमन्चे के फोटो/वीडियो मिले, सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 72/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नितिन चौधरी पुत्र प्रीतम निवासी ग्राम किलावली थाना कुण्डा जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ।

### बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी अरुण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 09.03.2025

**थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 14/2025 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.02.2025 को वादिया श्रीमती लक्ष्मी पत्नी योगराज सिंह निवासी ग्राम मुढाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि 1.प्रीति पत्नी रोहित (मृतक) 2.पुष्पा पत्नी राजपाल 3.पंकज 4.जोनी पुत्रगण राजपाल 5.नैना देवी पुत्री राजपाल निवासीगण नाईपुरा झुझारपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पुत्र रोहित (उम्र करीब 25 वर्ष) के साथ शादी के बाद से आये दिन गाली-गलौच करते हुए मारपीट करते थे



। दिनांक 03.02.2025 को उक्त व्यक्तियों द्वारा रोहित के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी व दस लाख रूपये की मांग की गयी तथा रूपये न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिससे भयभीत होकर दिनांक 04.02.2025 को वादिया के पुत्र रोहित द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 14/2025 धारा 108 बीएनएस बनाम प्रीति आदि कुल 05 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित पुष्पा, प्रीति व नैना उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है ।

### कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त जोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम झुझारपुरा उर्फ नाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम झुझारपुरा उर्फ नाईपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी मनोज थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 09.03.2025

**थाना अफजलगढ पुलिस ने 01 अभियुक्त को 300 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब निष्कर्षण के उपकरण सहित किया गिरफ्तार। मौके पर 18,000/- लीटर लहन को किया गया नष्ट।**

### कार्यवाही –

जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मुरलीवाला गंगा नहर किनारे एक अभियुक्त बूटा सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 300 ली0 अवैध कच्ची शराब खाम मय भट्टी के सामान 02 ड्रम लोहा, दो हाडी मिट्टी, दो पाईप रबड, 06 कैन प्लास्टिक 50 - 50 ली0 की अवैध शराब से भरी हुई, दो कनस्तर, दो एल्यूमीनियम के पतीले, एक फावडा, 09 गड्डो की प्लास्टिक की पन्नी रंग सफेद, करीब एक कुन्तल लकडी, एक प्लास्टिक का डब्बा, दो बोतल सहित गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर ही 18000 ली0 लहन नष्ट किया गया।



बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. बूटा सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

### बरामदगी विवरण

300 ली0 अवैध कच्ची शराब खाम मय भट्टी के सामान 02 ड्रम लोहा, दो हाडी मिट्टी, दो पाईप रबड, 06 कैन प्लास्टिक 50 - 50 ली0 की अवैध शराब से भरी हुई, दो कनस्तर, दो एल्यूमीनियम के पतीले, एक फावडा, 09 गड्डो की प्लास्टिक की पन्नी रंग सफेद, करीब एक कुन्तल लकडी, एक प्लास्टिक का डब्बा, दो बोतल 18000 लीटर लहन नष्ट।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

- 1- मु0अ0सं0 122/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2- मु0अ0सं0 71/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 राजीव कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4. मुख्य आरक्षी विपिन मान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी आकाश यादव थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
6. आरक्षी कृष्ण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
7. आरक्षी राजीव कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।